राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2282/2025

समता मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थिया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थिया को उसके प्रशिक्षण पश्चात उसके पदस्थापन स्थान पर ही पदस्थापित किया जाना था, लेकिन अनुचित रूप से अपीलार्थिया को निदेशालय के लिए कार्यमुक्त किया गया। निदेशालय का विधिक दायित्व था कि अपीलार्थिया को उसके पूर्व पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त करते, लेकिन निदेशालय ने अपीलार्थिया को उसके पूर्व पदस्थापन स्थान जिला चिकित्सालय सवाईमाधोपुर (सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर) के लिए कार्यमुक्त नहीं किया। चुनौती आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थिया को उप जिला चिकित्सालय टोडाभीम जिला करौली में पदस्थापन किया गया। उक्त आदेश प्रारम्भ से ही अनुचित, अवैध व विधि विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय है। चुनौती आदेश में अपीलार्थिया को एपीओ से पदस्थापन दर्शाया है, जबकि अपलार्थिया को आदेश दिनांक 22.12.2024 के द्वारा गलत रूप से निदेशालय के लिए कार्यमुक्त किया गया था, जबकि उसे नियमानुसार उसके पूर्व पदस्थापन स्थान के लिए कार्यमुक्त किया जाना चाहिये था, लेकिन प्रशिक्षण के समय अपीलार्थिया को उसके पूर्व पदस्थापन स्थान से

वेतन का भुगतान किया गया। यदि अपीलार्थिया का स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक था तो उसको जिला चिकित्सालय सवाईमाधोपुर (सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर) में कार्यग्रहण करने के पश्चात वहां से स्थानान्तरण किया जा सकता था, लेकिन अपीलार्थिया को अनुचित रूप से एपीओ दर्शाकर उसे उप जिला चिकित्सालय टोडाभीम जिला करौली स्थानान्तरण किया गया जो अनुचित व अवैध है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते है कि अपीलार्थी को सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष के लिये नियुक्ति प्रदान की गयी थी। उक्त प्रशिक्षण के पश्चात अपीलार्थिया का पदस्थापन आलोच्य आदेश के द्वारा किया गया है। अपीलार्थिया द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अपीलार्थिया को नये सीरे से पदस्थापित किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि होना प्रकट नहीं होता है। हम पाते हैं कि अपीलार्थिया की सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात अपीलार्थिया को आदेश दिनांक 22.12.2024 (अनुलग्नक–2) के द्वारा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर के लिये कार्यमुक्त किये जाने के आदेश को गलत होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः हम अपीलार्थिया को नये सीरे से पदस्थापित किये जाने के आदेश में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष